



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082022-238381
CG-DL-E-25082022-238381

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3830]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 25, 2022/भाद्र 3, 1944

No. 3830]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 25, 2022/BHADRA 3, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(अन्वेषण प्रभाग-V)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2022

का.आ. 4004(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उप-खंड (ii), तारीख 19 अप्रैल, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, (अन्वेषण प्रभाग-V), का.आ. 1891(अ) तारीख 19 अप्रैल, 2022, की अधिसूचना में, सारणी में-

(i) स्तम्भ (3) में मद (15) में “चन्दौसी” के स्थान पर “चंदौली” पढ़े।

[अधिसूचना सं. 104/2022/फा.सं. 285/33/2021-आईटी(अन्वेषण-V), सी.बी.डी.टी.]

दीपक तिवारी, आयकर आयुक्त (ओएसडी) (अन्वेषण)